

INDEX

S. No.	Particular	Page No.
1	Joint Committee Report	01-03
2	Copy of Letter dated 04/11/2024, issued by Deputy Conservator of Forests, Alwar (Annexure-1)	04
3	Copy of Letter dated 22/11/2024, issued by Regional Officer, RSPCB, Alwar (Annexure-2) and copy of letter dated 29/10/2024, issued by Member Secretary, RSPCB, Jaipur	05-06
4	Attendance sheet (Annexure-3)	07
5	Copy of Letter dated 09/05/2024, issued by Tehsildar, Rajgarh, District- Alwar (Annexure-4)	08
6	Mauka Parcha – Supurdagi dated 09/05/2024 (Annexure-5)	09
7	Correspondence produced by the representative of the public works department (Annexures-6)	10-29
8	Photographs produced by the applicant (Annexure-7)	30-31
9	GPS based photographs taken during site visit (Annexure-8)	32-33
10	Copy of the compliance letter of PWD dated 13/08/2024 (Annexure-9).	34

Factual Report in the matter of Jabbu Lal Meena V/s State of Rajasthan & Ors.
Original Application No. 227/2024 (CZ), Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Jabbu Lal Meena against State of Rajasthan & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone, Bhopal the applicant has raised the issue of cutting trees in Khasra No. 25/1.35 (Account No. 91), Village Bhankari, Tehsil-Rajgarh, District- Alwar by the Public Works Department Rajasthan for the construction of road without any permission from the competent authority/ forest department.

Order

Hon'ble NGT, Central Zonal Bench in its order dated 03/10/2024 has directed as follows:

“..... 4. We deem it just and proper to call a report from a Joint Committee consisting of:

- i. One representative from the Division Forest Officer, Alwar, (Rajasthan)*
- ii. One representative from the Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board, (Rajasthan).....*

..... 7. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.....”

Accordingly, Deputy Conservator of Forests, Alwar, vide letter no. 11264 dated 04/11/2024 nominated Smt. Pratibha, Assistant Conservator of Forest, Alwar as representative on his behalf. Letter dated 04/11/2024 has been enclosed as **Annexure-1**.

And accordingly, Member Secretary, RSPCB, Jaipur vide letter dated 29/10/2024 nominated Regional Officer, RSPCB, Alwar and further Regional Officer vide letter dated 22/11/2024 nominated Sh. Pavan Kumar Meena, Junior Environmental Engineer, RSPCB, Alwar as representative on his behalf. Letter dated 29/10/2024 and 22/11/2024 has been enclosed as **Annexure-2**.

Joint Committee Visit

In accordance with the aforementioned order, following officials/persons visited the site on 23/11/2024 in connection with this case:

- i. Smt. Pratibha, Assistant Conservator of Forest, Alwar,*
- ii. Sh. Pavan Kumar Meena, Junior Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board, Alwar,*
- iii. Smt. Savita Meena, Assistant Engineer, Public Works Department, Rajgarh, Alwar,*
- iv. Sh. Jabbu Lal Meena, Applicant*

Attendance sheet is enclosed as **Annexure-3**.

A brief discussion with the applicant, officials of public works department and local residence was held and during the discussion, the PWD representative informed that they have uprooted 13 trees (Trees of Neem- 09 nos, Trees of Jheeda- 2 nos, Trees of Babul- 1 nos and Trees of Papadi- 1 nos) in Khasra No. 96 (land type is 'Gair Mumkin Rasta'), Village, Bhankri, Tehsil- Rajgarh, District- Alwar, after taking prior permission of Tehsildar, Rajgarh in accordance of Rajasthan Tenancy Act, 1995, copy of Tehsildar, Rajgarh letter dated 09/05/2024 is enclosed as **Annexure-4**.

The PWD representative also produced 'Mauka Parcha – Supurdagi' dated 09/05/2024, as per above letter Neem Trees- 09 nos, Jheeda Trees- 2 nos, Babul Trees- 1 nos, Papadi Trees- 1 nos and Peepal Trees- 1 nos were handover by the revenue department to public works department, Copy of Mauka Parcha – Supurdagi is enclosed as **Annexure-5**.

As alleged by the applicant, PWD has uprooted a total of 65 trees, as stated in the application made by him before the Hon'ble NGT, without prior permission from the competent authority or the Forest Department. The applicant has submitted certain photographs and videos taken at the time of uprooting of the trees or before that, however, it is not possible to count the number of trees uprooted from the photographs and videos submitted, photographs produced by the applicant are enclosed as **Annexure-7**.

It is to be noted that Tehsildar is the competent authority to give permission for uprooting the trees in case the no. of trees to be uprooted are up to 15 and, in case of more than 15 trees, concerned SDM is the competent authority to give permission in accordance with the provisions of Rajasthan Tenancy Act, 1995.

Observations

During field visit, following observations were made:-

- i. PWD has built an RCC road of about 300 meters long and currently there is no clue to verify how many trees have been uprooted by PWD for road construction at present a tree of Peepal is located near the road only.
- ii. GPS based photographs taken during site visit are enclosed as **Annexure-8**.

Conclusion

Aforementioned trees have been uprooted by the public works department after taking prior permission of Tehsildar, Rajgarh i.e. Land Revenue Department vide letter dated 09/05/2024 with the condition that the Public Works Department will plant 5 trees in exchange for each uprooted tree. Through the letter given by the representative of the Public Works Department, the Public Works Department has complied with the above-mentioned Tehsildar's letter, a copy of the compliance letter of PWD dated 13/08/2024 is enclosed as **Annexure-9**.

Enclosures

- i. Copy of Letter dated 04/11/2024, issued by Deputy Conservator of Forests, Alwar (Annexure-1),
- ii. Copy of Letter dated 22/11/2024, issued by Regional Officer, RSPCB, Alwar (Annexure-2),
- iii. Attendance sheet (Annexure-3)

- iv. Copy of Letter dated 09/05/2024, issued by Tehsildar, Rajgarh, District-Alwar (Annexure-4)
- v. Mauka Parcha – Supurdagi dated 09/05/2024 (Annexure-5)
- vi. Correspondence produced by the representative of the public works department (Annexures-6)
- vii. Photographs produced by the applicant (Annexure-7)
- viii. GPS based photographs taken during site visit (Annexure-8) and
- ix. Copy of the compliance letter of PWD dated 13/08/2024 (Annexure-9).



(Pavan Kumar Meena)
JEE, RSPCB, Alwar



(Pratibha)
ACF, Alwar



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) - 301001

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-एफ/10()2024/विधि/उवस/ 11264
निमित्त:-

दिनांक : 4/11/24

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution
Control Board, Alwar

SUBJECT:- Compliance of order in Original Application No.227/2024
Jabbu Lal Meena Vs State of Rajasthan & Ors.

संदर्भ:- MS RSPCB, Jaipur के पत्र क्रमांक 1278-79 दिनांक 29.10.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरितप्राधिकरण Original Application No.227/2024 Jabbu Lal Meena बनाम राज0 सरकार एवं अन्य में दिये आदेश दिनांक 03.10.2024 की पालना में संयुक्त कमेटी में उप वन संरक्षक अलवर के प्रतिनिधि के रूप में सहायक वन संरक्षक, अलवर (श्रीमति प्रतिभा, 982910459) को नामित किया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक वन संरक्षक, अलवर से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांक:-एफ 10()2024/विधि/उवस/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
- 2- सहायक वन संरक्षक, अलवर ।
- 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजगढ ।

उप वन संरक्षक,
अलवर

18/12
14/11/24

* JEE (P)
Please coordinate
& report
out
20/11/24



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (656) RPCB/Legal/NGT/2024

1278-75

Date: 29/10/24

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Alwar.

Sub: - Regarding Hon'ble National Green Tribunal order dated 03.10.2024 in Original Application No. 227/2024(CZ) Jabbu Lal Meena V/s State of Rajasthan & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 03.10.2024 directed inter-alia as follow:-

"3. We deem it just and proper to call a report from a Joint Committee consisting of:
(i) One Representative from the Division Forest Officer, Alwar (Rajasthan)
(ii) One Representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, (Rajasthan)

7. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order dated 03.10.2024. The Hon'ble NGT order dated 03.10.2024 is enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)

Member Secretary *ok*

Copy to following for information /necessary action:-

1. Divisional Forest officer , Department of Forest , Alwar

Member Secretary *ez*

Signature valid

Digitally signed by N. Vijai
Designation: Member Secretary
Date: 2024.10.29 17:18:21 IST
Reason: Approved





Registered/E-mail

**Hon'ble NGT Matter
Most Urgent**

RPCB/RO/ALW/Gen-437/SPL-357640

Date- 22/11/2024

Assistant Conservator of Forests, Alwar

Subject: Regarding Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zone Bench, Bhopal order dated 03.10.2024 in the matter of Jabbu Lal Meena Vs State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 227/2024 (CZ).

Reference: -

1. Hon'ble NGT order dated 03.10.2024 in the matter of Jabbu Lal Meena Vs State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 227/2024 (CZ) and
2. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur letter dated 29.10.2024.
3. Deputy Conservator of Forests, Alwar nomination letter no. 11264 dated 04.11.2024.

Ma'am,

With reference to the Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 03.10.2024 in the matter of Jabbu Lal Meena Vs State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 227/2024 (CZ) and above referred letters following date and time has been decided for the first Joint Committee meeting/visit in order to formulate further course of action so that compliance of Hon'ble NGT order may be done in time bound manner:


Date and Time – 23rd November, 2024 at 11:30 AM

Place – Khasra no. 25/1.35, Village- Bhankari, Tehsil- Rajgarh, Alwar

Therefore, in view of above, it is requested to ensure your presence on the aforesaid date and time. The next date of hearing of the matter is on **3rd December, 2024**.

Yours Sincerely,

Encl: As above.


(Deependra Jharwal)
Regional Officer

Copy to following for information:

1. Member Secretary, Head Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
2. Group Incharge (Legal), Head Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
3. Sub Divisional Officer, Rajgarh, District: Alwar with request to direct the concerning officials/ staff to remain present during site visit.
4. Executive Engineer, Public Works Department, Ramgarh, District: Alwar with request to direct the concerning officials/ staff to remain present during site visit.
5. Mr Pavan Kumar Meena, JEE (Mob no. 9660815299) to inspect the disputed site with joint committee members.






Regional Officer

Attence sheet in the matter of

Jabbu Lal Meena Vs State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 227/2024 (CZ)

Place: Khasra no. 25/1.35, Village- Bhankari, Tehsil- Rajgarh, Alwar

Date: 23/11/2024

Sr no.	Name of the officials/ representatives with designation	Name of Department	Mobile no	E-mail Sign
1	Eratiha	Forest	9829140459	
2	Savita Meena	PWD	6375733532	
3	Pawan Meena, JEE	RSPCB, Alwar	9600815299	
4	Jhobbolal meena	-	8850 585510	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

मौका पर्याप्त सुपदीगी राजग-गोवरी

(23)

आज दिनांक 9-5-2024 को श्रीमान् तहसीलदार साहब राजगढ़ के आदेश क्रमांक /राजग/24/852-854 की अनुषंग में राजग-गोवरी आ.क.ब. 96 के द्वारा रास्ता में सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़क निर्माण करने के कारण क.ब. 96 के सड़क के अर्थ आने वाले निम्नलिखित पेड़ों को अहम परवार मालिक गलेड एवं सहायक अहम मालिक निम्नलिखित विभाग क.ब. राजगढ़ (अहम) की उपस्थिति में निकली का -

नीचे के वृक्ष - 9 (नौ पेड़ छोटे-छोटे)

भीड़ाका - 2 (दो) छोटे पेड़


बम्बूल (बोम्ब) - एक (धोय)


पापड़ी - एक (धोय)


पीपल - एक (धोय)

उक्त पेड़ों को श्रीमान् सहायक अधीक्षक सार्वजनिक विभाग क.ब. राजगढ़ (अहम) को सुपदी सिधे गये।

मौका पर्याप्त तहसीलदार मंडल एलाकाशर लिखे गये।


प. स. जैसवाल
9/5/2024


9-5-2024
दिनांक


Aen PWD

क्रमांक. 90

दिनांक - 09/5/2024


श्रीमान उपखंड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

विषय:- पुलिस जाप्ता बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस उपखंड कार्यालय सा. नि. वि. उपखंड राजगढ़ के अधीन मीसिंग लिंक (2023-24) योजना के अन्तर्गत मांमरी ग्राम में सड़क स्वीकृत है। जिसका सीमांकन करवाने के पश्चात् ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त निर्माण हेतु पुलिस जाप्ता (मय महिला पुलिस) उपलब्ध करवाने का कृपया प्रयास करें।


सहायक अभियंता
सा. नि. वि.
उपखंड राजगढ़

क्रमांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं प्राथमिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. श्रीमान अधिशाही अभियंता सा. नि. वि. उपखंड राजगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ अलवर

क्रमांक:-...१३...

दिनांक:- 13/5/2024

सहायक अभियन्ता
जे.वी.वी.एन.एल. राजगढ

विषय:- लिक्ष्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भांकरी सड़क पर विधुत के पोल हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि लिक्ष्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भांकरी सड़क पर निर्माणाधीन रास्ते में बिजली के पोल गढे हुए हैं। जिससे सड़क निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। अतः उक्त रास्ते में से विधुत के पोलो को हटवाने का श्रम करें। जिससे सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पुर्ण किया जा सके।

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

ph
13/05/24

9/5/24

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ अलवर


क्रमांक:- 95
श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता
सा०नि०वि० खण्ड
राजगढ

दिनांक:- 13/05/2024

विषय:- ग्राम भांकरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में होकर सड़क निर्माण करने के क्रम में।
प्रसंग:- श्रीमान जिला कलेक्टर के पत्रांक 13.05.2024 के क्रम में।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त वर्णित सड़क की स्वीकृति मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत लक्ष्मण मीना के मकान से भम्बु राम के मकान तक भांकरी की राशि (मिसिंग लिक VR) योजनान्तर्गत 0.50 किमी कार्य हेतु 15.00 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था जिसमें टेण्डर जारी कर कार्य को प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश आवंटित किया गया। उक्त सड़क को प्रारम्भ करने पर ज्ञात हुआ की पूर्व में जो उक्त रास्ता था उस पर ग्रामवासीयो द्वारा अतिक्रमण कर रखा था रास्ते पर अतिक्रमण हटाये जाने बाबत ग्रामवासीयो से विभाग द्वारा मौखिक निवेदन किया गया एवं समझाईस कर सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन ग्राम वासीयो के द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। उसके बाद विभाग/कार्यालय द्वारा पत्रांक 226 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा तहसीलदार राजगढ को उक्त स्थान पर रास्ते की पैमाईस करने हेतु निवेदन किया गया। जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा पैमाईस करने हेतु टीम का गठन किया गया जिन्होंने दिनांक 20.09.2023 को रास्ते की पैमाईस कि गई पूर्व में कि गई पैमाईस के बाद भी ग्राम वासीयो द्वारा कार्य नहीं करने दिया गया। उसके बाद कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपखंड अधिकारी राजगढ एवं तहसीलदार राजगढ से मौखिक निवेदन किया गया जिसके क्रम में दिनांक 06.05.2024 को श्रीमान तहसीलदार राजगढ द्वारा पैमाईस कि गई। जिससे ग्रामवासी संतुष्ट न होने पर पुनः दिनांक 07.05.2024 को तहसीलदार राजगढ द्वारा पैमाईस कि गई उक्त पैमाईस को भी ग्रामवासीयो द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तदुपरांत दिनांक 08.05.2024 को पुनः उपखंड अधिकारी महोदय राजगढ एवं ग्रामवासीयो की उपस्थिति में रास्ते की पैमाईस करायी गई।
उक्त सड़क निर्माण कार्य सभी उपस्थिति में पैमाईस को आधार मान कर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमें कार्यालय/विभाग द्वारा किसी प्रकार की मन मानी नहीं कि गई एवं नियमानुसार व्यावहारिक तरिके से आम जन कि सुविधा के लिए सरकारी रास्ते में कार्य संपन किया जा रहा है।
अतः उक्त रिपोर्ट श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

भवदीय


(सविता मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

महाराष्ट्र लक्ष्मीनंदार राजगढ़ के आदेश संख्या / 10/10/2023

संज्ञान / 2023 / 567 दिनांक 13.9.23 की प्राप्ति

में आज दिनांक 20.9.23 को ग्राग संख्या

सं. नं. 96 क्रि. नं. 02 रास्ता की जैगाडिंग

ग्राग संख्या में मोने पर पंहुलकर जैगाडिंग

कार्य चिन्तित

मोने पर पंहुलकर सं. नं. 96 के आस पास

वि-डूके सं. नं. 41, 42 व 25 का सिमेटा व 187, 188 व

189 का सिमेटा से रास्ता सं. नं. 96 की जैगाडिंग

निश्चय का कार्य ग्रागवसिमान व संज्ञान संज्ञान

PWD की जैगाडिंग में करवाया गया

(AEP)
 10/10/2023
 20.9.23
 20/9/23
 20/9/2023

20/9/2023

20/9/2023

मौका पर्या रिपोर्ट जल. मॉकरी दिनांक 8-5-2024 0.0.96 का

(29)

आज दिनांक 8-5-2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ के आदेश क्रमांक/राज आ. 0.0.96 जे. गु. रासा से दिनांक 3-5-24 को अतिक्रमण हटवाया गया था। जिसकी पुनः आज दिनांक 8-5-24 को मौके पर श्रीमान SDM साहब एवं श्रीमान तहसीलदार साहब साथ पुलिस जी की उपस्थिति में जल मॉकरी के गा. 0.0.39, 40, 41, 43 के चौमेडा पर बिन्दु A (प्लॉट नं. 30.0.0.20, 22, 21) के तिमेटा पर बिन्दु B अंकित (प्लॉट नं.) किया गया। दोनों सुरक्षाई बिन्दुओं के मध्य दूरी नक्शा सं. 2042 व मौके पर जमीन चलाकर मिलान कटे पर महीपानी गई।

अब बिन्दु से. A व B से जमीन चलाकर बिन्दु से. 1 0.0.23 का उत्तरी प्रती कोण प्लॉट किया बिन्दु से. 2 0.0.187 का उत्तरी पार्श्व कोण (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. 2 से उत्तरी दिशा में जमीन चलाकर प्लॉट बिन्दु से. B से मिलाने पर बिन्दु से. 3 0.0.188 का उत्तरी-पार्श्व कोण (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. 2 से 0.0.25 का उत्तरी पार्श्व कोण तब एवं बिन्दु से. A से मिलाने पर बिन्दु से. 4 0.0.25 का उत्तरी प्रती कोण (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. 4 के सामने रास्ता सी-चौडारी के बराबर बिन्दु से. 5 (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. 2 के सामने रास्ते से चौडारी के बराबर बिन्दु से. 6 (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. A व B से जमीन चलाकर 0.0.26 का उत्तरी प्रती बिन्दु से. A व B से जमीन चलाकर 0.0.187 का दक्षिण-पार्श्व कोण बिन्दु से. 9 (प्लॉट किया गया) बिन्दु से. 9 के सामने रास्ते से चौडारी के बराबर बिन्दु से. 10 (प्लॉट किया गया) अर्थात् बिन्दु A व B तथा से. 10 का प्लॉट किया बिन्दु राजगढ़ नक्शा संख्या 2042 में स्थित इरी के समान (प्लॉट किया गया) बिन्दु मिले गये हैं।

मौका पर्या न्याय न्याय/दस्तावेज मिले गए।

08/05/24
प. नारायण

प. नारायण
8/5/2024

8-5-24
दिनांक

8/5/2024

30

राजस्थान-सरकार
 कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर(राज.)
 /राजस्व/अतिकमण/2024/ 821

दिनांक:- 8/05.2024

-:कार्यालय आदेश:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पारित निर्णय राजस्थान गू0 राजस्व अधिनियम 1956 की 91 के अन्तर्गत विधिक उपाबन्धानुसार कार्यवाही करते हुए तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़ द्वारा प्रेषित सर्तकता प्रकरण प्रार्थी श्री छगन सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रान्तर्गत ग्राम भौखरी के आराजी खसरा नम्बर 96 गै0मु0रास्ते से दिनांक 03.05.2024 को अतिकमण हटवाया गया था। परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ग्राम भौखरी के आराजी खसरा नम्बर 96 से पुनः पैमाईस अतिकमण हटवाये जाने का निवेदन किया है।

अतः उक्त खसरा नम्बर की पैमाई एवं अतिकमण हटवाये जाने हेतु निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है। टीम को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.05.2024 को खसरा नम्बर 96 गै0मु0रास्ते के ग्राम भौखरी से अतिकमण हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे। जिससे उक्त सी.एम.ओ. प्रकरण का निस्तरण किया जा सके।

क्र.स.	नाम कर्मचारी श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम
1	श्रीलाल मीना	भू0अ0नि0 ढिगावडा
2	हरिश कुमार शर्मा	भू0अ0नि0 फिरोजपुर
3	संदीप कुमार शर्मा	पटवारी हल्का कारोठ
4	सुनिता	पटवारी हल्का भजेडा

नोट:- पटवारी हल्का भजेडा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड लेकर मौके पर उपस्थित रहे।


 तहसीलदार
 राजगढ़ (अलवर)

दिनांक:- 8/05.2024

क्रमांक/राजस्व/अतिकमण/2024/ 822- 828

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को मौके पर उपस्थित रहकर राजस्व टीम के साथ पैमाईस करने/अतिकमण हटवाये जाने में आवश्यक सहयोग/ संसाधन उपलब्ध करवाने का श्रम करे।
3. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....को पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।


 तहसीलदार
 राजगढ़ (अलवर)


मौजूदा पचा


(31)


आज दिनांक 06-5-2024 की श्रीमान तहसीलदार
महोदय राजगढ़ के ओडरा कुमांड / राजस्व / अतिरिक्त / 2024/26
दिनांक - 06-5-24 की पालना में मम गरीब टीम के साथ आराजी
ख. नं. 96 क्रमा - जे. कु. रास्ते वाले ग्राम भांडरी के मौजे पर
पहुंचे ;


मौजे पर PWD विभाग के अधिकारी / नर्सचारी/गंगा
व उमर रास्ते के पडोसी जवाहरान व अन्य मौजीज
उपस्थित मिले ;


मौजे पर आराजी ख. नं. 187, 188 व 198 के तिमडे
आराजी ख. नं. 23, 25, 42 के तिमडे आ. ख. नं. 25, 30, 41
के तिमडे आ. स. ख. नं. 25, 27, 30 के तिमडे आ. ख. नं. 185, 187,
202 के तिमडे की मुस्तकिल बिनु मानते हुए उपस्थितान के
समझ आराजी ख. नं. 96 की पुनः प्रमादश की
गई तथा उपस्थितान के मौजूदा पचा पर हस्ताक्षर
करवाये गए ;


पंचायत मुख्या
06/05/2024


06/05/2024
प. ह. रा. कु.


06-5-24
P. H. R. K. S.


06-5-24
प. ह. रा. कु.


06/05/24
पंचायत

कमलेश खैतान मीन
अजय कुमार मीन
शिवेश्वर सिंह
श्रीमान गरीब

23

राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर(राज.)

क्रमांक/राजस्व/अतिक्रमण/2024/799

दिनांक:-2/05.2024

-:कार्यालय आदेश:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पारित निर्णय राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 के अन्तर्गत विधिक उपाबन्धानुसार कार्यवाही करते हुए तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़ द्वारा प्रेषित सर्तकता प्रकरण प्रार्थी श्री छगन सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रान्तर्गत ग्राम भौखरी के आराजी खसरा नम्बर 96, 123, 124, 128, 129 गै0मु0रास्ते से अतिक्रमण हटवाये जाने हेतु निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है। टीम को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 03.05.2024 को पुलिस जादो की उपस्थिति में उक्त खसरा नम्बर 96, 123, 124, 128, 129 गै0मु0रास्ते वाके ग्राम भौखरी से अतिक्रमण हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम
1	श्रीलाल मीना	भू0अ0नि0 ढिगावड़ा
2	नीनू चौहान	भू0अ0नि0 नीमला
3	सुनीता	पटवारी हल्का भजेड़ा
4	हरिश कुमार शर्मा	पटवारी हल्का फिरोजपुर
5	प्रताप मीना	पटवारी हल्का दुब्बी


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

दिनांक:-2/05.2024

क्रमांक/राजस्व/अतिक्रमण/2024/800-805

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़।
2. थानाधिकारी, राजगढ़ को भेजकर लेख है कि मौके से अतिक्रमण हटवाने के दौरान आवश्यक पुलिस बल (05 पुरुष व 02 महिला कॉस्टेबल) गय स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने का श्रम करे।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को मौके पर उपस्थित रहकर राजस्व टीम के साथ अतिक्रमण हटवाये जाने में आवश्यक सहयोग/संसाधन उपलब्ध करवाने का श्रम करे।
4. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

Page 54

34

राजस्थान-सरकार

कार्यालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर(राज.)

क्रमांक/राजस्व/अतिकमण/2024/269

दिनांक:-06.05.2024

-:कार्यालय आदेश:-

अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पारित निर्णय राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत विधिक उपाबन्धानुसार कार्यवाही करते हुए तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़ द्वारा प्रेषित सर्तकता प्रकरण प्रार्थी श्री छगन सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रान्तर्गत ग्राम भोंखरी के आराजी खसरा नम्बर 96 गै0मु0रास्ते से दिनांक 03.05.2024 को अतिकमण हटवाया गया था। परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ग्राम भोंखरी के आराजी खसरा नम्बर 96 से पुनः पैमाईस कर अतिकमण हटवाये जाने का निवेदन किया है।

अतः उक्त खसरा नम्बर की पैमाई एवं अतिकमण हटवाये जाने हेतु निम्न प्रकार टीम गठित की जाती है। टीम को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06.05.2024 को खसरा नम्बर 96 गै0मु0रास्ते वाले ग्राम भोंखरी से अतिकमण हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे। जिससे उक्त सी.एम.ओ. प्रकरण का निस्तरण किया जा सके।

क्र.स.	नाम कर्मचारी श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम
1	राममुकेश मीना	भू0अ0नि0 राजपुरबड़ा
2	संदीप कुमार शर्मा	भू0अ0नि0 कोराठ
3	दीपक कुमार शर्मा	पटवारी हल्का सकट
4	मनीष कुमार मीना	पटवारी हल्का बड़ाराजपुर

नोट:- पटवारी हल्का भजेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड लेकर मौके पर उपस्थित रहे।


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

दिनांक:-06.05.2024

क्रमांक/राजस्व/अतिकमण/2024/270-75

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजगढ़।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ को भेजकर लेख है कि नियत दिनांक को मौके पर उपस्थित रहकर राजस्व टीम के साथ पैमाईस करने/अतिकमण हटवाये जाने में आवश्यक सहयोग/ संसाधन उपलब्ध करवाने का श्रम करे।
3. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....को पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ अलवर

क्रमांक:-.....
श्रीमान तहसीलदार
राजगढ (अलवर)।

दिनांक:-.....

विषय:- लक्ष्मण मीना के मकान से भम्भू राम के मकान तक ग्राम भांकरी सडक के मध्य में आये हरे पेडों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि लक्ष्मण मीना के मकान से भम्भू राम के मकान तक ग्राम भांकरी में सडक का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं आपके द्वारा दिनांक 03.05.2024 व दिनांक 08.05.2024 को सीमा ज्ञान करवाया गया है, जिसके अनुसार उक्त सडक के मध्य में हरे पेड आ रहे हैं जिससे सडक निर्माण में बांधा उत्पन्न हो रही है अतः उक्त पेडों को हटवाना अतिआवश्यक है उक्त सडक के मध्य में जो भी पेड हटवाये जायेंगे के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षकर्ता शपथ पूर्वक बयान करती है कि एक पेड के बदले में कम से कम पाँच पेड इस विभाग के द्वारा लगवा दिये जायेंगे ।

अतः श्रीमान पेडों को हटवाने की अनुमति प्रदान करें ।

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

दिनांक:- 03/05/24

क्रमांक:- 84-85

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजगढ ।
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड राजगढ ।

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ (अलवर)

दिनांक:- 24/5/2024

क्रमांक:- 130

श्री मुरारी लाल जॉगिड़

ग्राम कोठीनारायणपुर

तहसील राजगढ (अलवर)

विषय:- नीलामी द्वारा लक्ष्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भौकरी नीम, बबूल, पापडी व झीड़ा के पेड़ों को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 24.05.2024 को लक्ष्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भौकरी नीम, बबूल, पापडी व झीड़ा के कुल 13 पेड़ों की नीलामी में सबसे अधिक बोली आपकी रही है। अतः बोली आपके नाम छोड़ी जाती है। दिनांक 24.05.2024 से 27.05.2024 तक पेड़ों को हटाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

% [Signature]

मुरारी लाल

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ (अलवर)

दिनांक:- 21/5/24

क्रमांक:- 133

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता
सा०नि०वि० खण्ड
राजगढ

विषय:- पेड़ों की नीलामी से प्राप्त राशि रुपये 13000/- जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सड़क निर्माण कार्य लक्ष्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भौकरी में रास्ते में आ रहे 13 पेड़ों को हटाया गया है जिनकी नीलामी से 13000 रुपये प्राप्त किये गये हैं। उन्हें जमा करने का श्रम करे। तथा उच्चतम बोली दाता श्री मूरारी लाल जौंगिड़ ग्राम कोठीनाराणपुर तहसील राजगढ जिला अलवर के नाम रसीद देने का श्रम करे।

संलग्न:- राशि 13000/- रू०

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

GA 55

GFAR 27 & 81

RECEIPT रसीद

Rs. 13000/-

Book No.
पुस्तक संख्या

059448

Receipt No.
रसीद संख्या

NO. 0033

Dated दिनांक 28.05.24 20

Receipt ~~रसीद~~ श्री मुरारी लाल जोगिड

with letter No. ग्राम - कोठीनारायणपुरा dated तह राजगढ (अलवर)

the sum of Rupee तेरह हजार रु. मात्र।

in cash/by cheq: as account of

is payment of सहायक विमियन्ता सामन्-वि. उपखण्ड

राजगढ के पत्रांक 133 dt 24.05.24 के क्रम

को में लक्ष्मण मीना के मकान से भगव राम के मकान तक

पत्र संख्या ग्राम मोकरी में बस्ते में वा रहे 13 पेडों की नीलापनी

रूपसे से प्राप्त राशि जमा।

निमित्त प्राप्त है :

रु. 13,000/-

कौशियर

विमियन्ता विभागाध्यक्ष
राजगढ (अलवर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ़ अलवर

क्रमांक:- 98.....

दिनांक:- 14/05/2024

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता
सा०नि०वि० खण्ड
राजगढ़

विषय:- पेड़ों की सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत (2023-24) स्वीकृत सड़क लिक्मण मीना के मकान से भंम्बु राम के मकान तक ग्राम भांकरी सड़क पर निर्माणाधीन रास्ते में पेड़ों को हटाया गया है। उक्त पेड़ों की सर्वे रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर स्वीकृति हेतु भिजवायी जा रही है।

अतः श्रीमान सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत करने का श्रम करे जिससे नीलामी की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- सर्वे रिपोर्ट

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. खण्ड राजगढ़
पत्र प्राप्ति संख्या... 171
दिनांक: 15-5-24
Remit OA, DAO, TA, EE

भवदीय

(सविता मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ़

No 369 - Date 16-5-24

प्रलब्ध साहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड राजगढ़ को
सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत कर साहायक अभियन्ता हेतु
प्राहित है।

उपरोक्त सर्वे रिपोर्ट

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि०, खण्ड
राजगढ़ (अलवर) राज०


98
16/5/24


कार्य का नाम :- नीम, बबूल व अन्य पेड़ों की सर्वे रिपोर्ट

क्र०सं०	पेड़ का नाम	पेड़ों की संख्या	अनुमानित मात्रा	अनुमानित राशि
1	नीम	9	20 किंचटल	20 किंच X 500 रु प्रति किंचटल = 10,000
2	झीडा	2		
3	बबूल	1		
4	पापडी	1		
	योग	13		10,000.00

Survey Report Sanction

³⁴
अधिसाधी अभियन्ता
सा० नि० वि०, खण्ड
राजगढ़ (अलवर) राजगढ़


वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी
सा.नि.वि.खण्ड, राजगढ़ (अलवर)


सहायक अभियन्ता
सा०नि०वि० उपखंड राजगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ़ अलवर

क्रमांक:-.../.../२३...

दिनांक:-.../.../२४

निलामी-सूचना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि लक्ष्मण मीना के मकान से भम्बु राम के मकान तक ग्राम भोंकरी में निर्माणाधीन सड़क में आने वाले नीम,पीपल,पापडी व झीड़ा के कुल 13 पेड़ों की निलामी निम्नानुसार अंकित समय व दिनांक को की जावेगी।

अतः जो भी सज्जन निलामी बोली लगाने का इच्छुक है वह निर्धारित अमानत राशि रुपये 1000/- जमा करवा कर नियत दिनांक को उपस्थित होकर बोली लगा सकता है।

क्रम संख्या	सड़क का नाम	निलामी स्थल	दिनांक	समय
1	लक्ष्मण मीना के मकान से भम्बु राम के मकान तक ग्राम भोंकरी	सा०नि०वि० कार्यालय राजगढ़	24.05.2024	11.00 बजे

निलामी शर्त:-

1. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी उसको निलामी की राशि जमा उसी समय करानी होगी।
2. पेड़ों को साईड से हटाने एवं ले जाने की जिम्मेदारी अन्तिम बोलीदाता को करनी होगी एवं उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए दिनांक 24.05.2024 से 27.05.2024 तक का समय दिया जाता है।
3. निलामी छोड़ने व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ठेके कमेटी का होगा।

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ़
दिनांक:-.....

क्रमांक:-.....

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड राजगढ़।
2. श्रीमान उपकोषाधिकारी राजगढ़ (अलवर)।
3. नोटिस बोर्ड


सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ़

फर्द अमानत राशि

1. निलामी वर्ष 2024-25.....
2. निलामी दिनांक 24/05/2024
3. निलामी (किस्म) नीम, बबूल, शीड़ा व पापड़ के पेड़ों की लकड़
4. निलामी स्थान उ. पी. डी. के द्वारा
सा. नि. वि. बाघोलीप राजगढ़

क्रम संख्या	बोली हेतु अमानत राशि जमा कराने वाले के नाम व पता	अमानत राशि रुपये	अमानत राशि वापसी के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
1	मूलचन्द	1000	मूलचन्द	
2	कैलशचन्द	1000	कैलश	
3	मुरारी लाल जाँगिड़	1000	मुरारी लाल	

अमानत राशि वापिस
लौटा दी गई है।


 सहायक अभियन्ता
 सा० नि० वि० उपखण्ड
 राजगढ़ (अलवर)

फर्द बोली दाहिन्दा बाबत

- | | |
|-------------------|---|
| 1. निलामी वर्ष | 2024-25 |
| 2. निलामी दिनांक | 24/5/2024 |
| 3. निलामी (किस्म) | नीम, लखुल, इनीडा व पाघडी के कुल 13 पेड़ों |
| 4. निलामी स्थान | सा. नि. वि. अस्पताल राजगढ़ |

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार बोली दाहिन्दा	राशि बोली	विशेष विवरण
	सरकारी बोली	10,000	
1	मूल चन्द	10500, 11400, 12100	
2	कुलारा - चन्द	10800, 11700, 12500	
3	मुरारी लाल जांगिड़	11000, 12000, 13000	मुझे मेरी अन्तिम बोली 13000 स्वीकार है। मुरारी लाल
	हम लख बोली दाता द्वारा अब अब अपने बोली लगाने से इन्कार करते हैं। कलेश मूल चन्द		सहायक अभियन्ता सा० नि० वि० उपखण्ड राजगढ़ (अलवर)

सहायक अभियन्ता
सा० नि० वि० उपखण्ड
राजगढ़ (अलवर)



Photographs produced by the applicant





Latitude: 27.282368
Longitude: 76.606132
Elevation: 288.53±3 m
Accuracy: 3.8 m
Time: 23-11-2024 12:24
Note: Bhankari

Powered by NoteCam

Figure 01: Officers/Representatives/Applicants present during site visit



Latitude: 27.28238
Longitude: 76.606119
Elevation: 290.51±3 m
Accuracy: 3.9 m
Time: 23-11-2024 12:24
Note: Bhankari

Powered by NoteCam

Figure 02: Applicant's fields adjacent to the road.

GPS based photographs taken during inspection:



Figure 03: Newly constructed RCC road with no trees near applicant's fields where trees were uprooted

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड राजगढ अलवर

क्रमांक:- 329

दिनांक:- 13/08/24

श्रीमान तहसीलदार
राजगढ (अलवर)।

विषय:- पेड लगाने बाबत ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक राजस्व/24/851 दिनांक 09.05.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान आपके आदेश की अनुपालना में राजकीय कन्या महाविधालय राजगढ एवं इस उपखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न सडको पर पेड लगा दिये गये। अतः उक्त रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(सविता मीना)

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ

दिनांक.....

क्रमांक

प्रतिलिपि श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड राजगढ को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता

सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ